फैक्स

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गॉधी नरेगा)

एफ 1 (2) ग्रावि/नरेगा/गाईड लाईन/पार्ट–2/2010 जयपुर दिनांकः 11 JAN 2013

श्री एम. जयचन्द्रन,
अण्डर सचिव,
महात्मा गांधी नरेगा प्रभाग,
ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय,
कमरा नं. 378, कृषि भवन, नई दिल्ली।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अभावग्रस्त क्षेत्रों में 100 दिन से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु।
प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांकः जे/11060/55/2011/एमजीनरेगा–IV दि. 18.09.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना से अभावग्रस्त घोषित क्षेत्र में वर्ष 2012–13 के दौरान 100 दिन से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराने के क्रम में आवश्यक सूचनाए विभागीय समसंख्यक पत्र दि. 11.10.2012 के द्वारा मंत्रालय को प्रेषित की जा चुकी है। प्रासंगिक पत्र के क्रम में पुनः बिन्दुवार सूचनाए निम्नानुसार संलग्न हैः–

3(1) योजनान्तर्गत 100 दिन से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के क्रम में महात्मा गांधी नरेगा **योजना,** राजस्थान में आवश्यक संशोधन दि. 08.10.2012 को कर दिये गये है (परि–1)।

3(2) आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 1(1) (4) आ.प्र. स.आ./सामान्य/2012/287–345 दि. 04.01.2013 के द्वारा राज्य के **12 जिलों के 7973** गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है (परि–2)।

3(3) मनरेगा अधिनियम की धारा–22 में किये गये प्रावधानों के अनुसार रोजगार के दिनों की संख्या में बढ़ोत्तरी (''100 तक'' से ''150 दिनों तक'') की वजह से राज्य सरकार सामग्री मद में राज्य के हिस्से की बढ़ी हुई लागत वहन करने को सहमत है।

3(8) संशोधित लेबर बजट ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रेषित किया जा चुका है।

III अभावग्रस्त क्षेत्र में 100 दिन से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु एमआईएस में आवश्यक प्रावधान कराने का श्रम करावे।

आपसे अनुरोध है कि राज्य के अभावग्रस्त घोषित 12 जिलों के 7973 गांवों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को 150 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराने की अनुमति शीघ्र प्रदान कराने का श्रम करावे ताकि वर्ष 2012–13 की शेष अवधि में परिवारों को मांग अनुसार अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाकर आम जनता को सहायता प्रदान की जा सके। उल्लेखनीय है कि परिस्थितियों के आधार पर राज्य में गांव को अभावग्रस्त घोषित किया जाता है न कि तालुका/खण्ड को। अतः यह भी अनुरोध है कि अभावग्रस्त तालुका/खण्ड में 150 दिन तक का रोजगार उपलब्ध कराने के प्रावधान को अभावग्रस्त ग्रामों के लिए प्रभावी करने का श्रम करावे।

भवदीय

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(अभय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
5. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस/आपदा प्रबन्ध एवं सहायता विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. अति. आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
8. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलक्टर, अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, झुन्झुनू, जोधपुर, चूरू, राजसमन्द, पाली, जैसलमेर एवं सीकर को भेजकर अनुरोध है कि एमआईएस में आवश्यक प्रावधान प्रभावी होते ही अभावग्रस्त ग्रामों में परिवारों को 150 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराने का श्रम करावे। लेबर बजट में संशोधन की आवश्यकता होने पर तत्काल सूचित किया जावे।
9. प्रभारी अधिकारी, एमआईएस, कार्यालय हाजा।
10. एमआईएस मैनेजर, श्री रिंकू को ई–मेल करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

फैक्स

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गॉधी नरेगा)

एफ 1 (2) ग्रावि/नरेगा/गाईड लाईन/पार्ट–2/2010 जयपुर दिनांकः 10.10.2012

10 OCT 2012

श्री डी.के. जैन,
संयुक्त सचिव,
महात्मा गांधी नरेगा प्रभाग,
ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 100 दिन से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सहमति बाबत।

प्रसंग :– आपका पत्र क्रमांकः जे/11060/55/2011/एमजीनरेगा–IV दि. 18.09.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि –

1. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 100 दिन से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के क्रम में महात्मा गांधी नरेगा योजना, राजस्थान में आवश्यक संशोधन दि. 08.10.2012 को कर दिये गये है (संलग्न परि–1)।
2. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 1(1) (4) आ.प्र.स.आ./सामान्य/2012/9919–46 दि. 01.08.2012 के द्वारा राज्य के 5 (जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं नागौर) जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है (संलग्न परि–2)। इन जिलों के सभी पं.स., ग्रा.पं. एवं ग्राम अभावग्रस्त है।
3. मनरेगा अधिनियम की धारा–22 में किये गये प्रावधानों के अनुसार रोजगार के दिनों की संख्या में बढ़ोत्तरी ("100 तक" से "150 दिनों तक") की वजह से राज्य सरकार बढ़ी हुई लागत का वहन करने को सहमत है।
4. रोजगार के दिनों की संख्या में बढ़ोत्तरी के क्रम में उपरोक्त प्रासंगिक पत्र में अंकित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी।

आपसे अनुरोध है कि इस विषय में आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करावे।

भवदीय

(अभय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस/आपदा प्रबन्ध एवं सहायता विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

पार्ट-1 283

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/गाईड लाईन/पार्ट–2/2010 जयपुर, दिनांकः 8 OCT 2012

अधिसूचना

राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनिय, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 42) की धारा–4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी देने हेतु **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान,** में समय–समय पर किये गये संशोधनों के उपरान्त एवं यह समाधान हो जाने पर कि अधिसूचित स्कीम में संशोधन किया जाना आवश्यक है, के वर्तमान अध्याय 1 के बिन्दु 4. पात्रता (1) "केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में निवासरत समस्त ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य इस योजना में लाभ लेने हेतु पात्र हैं। योजना के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिए "एक परिवार" पात्र होगा। 100 दिन के रोजगार की उपलब्धता को परिवार में निवासरत समस्त वयस्क व्यक्तियों के बीच विभाजित किया जा सकता है। अतः एक पंजीकृत परिवार के समस्त वयस्क व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते है, 100 दिवस की सीमा के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। इस हेतुः–" को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है –

अध्याय 1 –बिन्दु 4. पात्रता – (1) – "केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में निवासरत समस्त ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य इस योजना में लाभ लेने हेतु पात्र हैं। योजना के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में **भारत सरकार द्वारा निर्देशित दिनों/अवधि/अन्य शर्तों के अनुसार** रोजगार प्राप्त करने के लिए "एक परिवार" पात्र होगा। **इस** रोजगार की उपलब्धता को परिवार में निवासरत समस्त वयस्क व्यक्तियों के बीच विभाजित किया जा सकता है। अतः एक पंजीकृत परिवार के समस्त वयस्क व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते है, **भारत सरकार द्वारा निर्देशित दिनों/अवधि/अन्य शर्तों के अनुसार** की सीमा के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। इस हेतुः–"

(अभय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 15, मंगलवार, शाके 1934– नवम्बर 6, 2012
Kartika 15, Tuesday, Saka 1934–November 6, 2012

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 8, 2012

संख्या एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/गाईड लाईन/पार्ट–2/2010 :– राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनिय, 2005 (2005 का अधिनियम सं. 42) की धारा–4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी देने हेतु **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान,** में समय–समय पर किये गये संशोधनों के उपरान्त एवं यह समाधान हो जाने पर कि अधिसूचित स्कीम में संशोधन किया जाना आवश्यक है, के वर्तमान अध्याय 1 के बिन्दु **4.** पात्रता (1) "केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में निवासरत समस्त ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य इस योजना में लाभ लेने हेतु पात्र हैं। योजना के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिए "एक परिवार" पात्र होगा। 100 दिन के रोजगार की उपलब्धता को परिवार में निवासरत समस्त वयस्क व्यक्तियों के बीच विभाजित किया जा सकता है। अतः एक पंजीकृत परिवार के समस्त वयस्क व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते है, 100 दिवस की सीमा के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। इस हेतुः–" को **निम्नानुसार संशोधित किया जाता है –**

अध्याय 1 –बिन्दु 4. पात्रता – (1) – "केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में निवासरत समस्त ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य इस योजना में लाभ लेने हेतु पात्र हैं। योजना के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में **भारत सरकार द्वारा निर्देशित दिनों/अवधि/अन्य शर्तों के अनुसार** रोजगार प्राप्त करने के लिए "एक परिवार" पात्र होगा। **इस** रोजगार की उपलब्धता को परिवार में निवासरत समस्त वयस्क व्यक्तियों के बीच विभाजित किया जा सकता है। अतः एक पंजीकृत परिवार के समस्त वयस्क व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते है, **भारत सरकार द्वारा निर्देशित दिनों/अवधि/अन्य शर्तों के अनुसार** की सीमा के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। इस हेतुः–"

अभय कुमार,
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

परि-2

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
क्रमांकः– एफ 1(1)(4) आप्रसआ/सामान्य/2012/287-345 जयपुर, दिनांक 04-01-2013

अधिसूचना

राज्य के जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं नागौर जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्र को अभावग्रस्त घोषित करने की अधिसूचना क्रमांक 9919–46 दिनांक 1.8.2012 के अधिक्रमण मे इन पांच जिलों तथा राज्य के अन्य 7 जिलों अजमेर, बांसवाड़ा, झुझुनूं, चूरू, राजसमन्द, पाली एवं सीकर के जिला कलेक्टर्स से प्राप्त गिरदावरी रिपोर्ट सम्वत 2069 के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के निम्नलिखित जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 15 जुलाई 2013 तक लागू रहेंगेः–

क्र.सं.	नाम जिला	अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या
1.	अजमेर	463
2.	बांसवाड़ा	1499
3.	बाड़मेर	1821
4.	बीकानेर	726
5.	नागौर	1570
6.	झुझुनूं	49
7.	जोधपुर	958
8.	चूरू	75
9.	राजसमन्द	142
10.	पाली	36
11.	जैसलमेर	615
12.	सीकर	19
	योग	7973

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अभय कुमार)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
2. निजी सचिव, आ.प्र. एवं सहायता मन्त्री
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक सम्बन्धित जिला प्रभारी मन्त्री, राज. जयपुर ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)./जल संसाधन/ग्रामीण विकासा एवं पंचायती राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर ।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर ।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज. जयपुर ।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर ।
10. संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
11. संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
12. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली ।
13. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर ।
14. संबंधित सम्भागीय आयुक्त, राज. ।
15. संबंधित जिला कलेक्टर, राज0 ।
16. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर ।
17. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
18. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण
19. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
20. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है । कृपया इसकी 50 प्रतियॉ इस विभाग को भिजवाये ।

5/1/2017

शासन उप सचिव